न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 123/23 (वाद)
GCMS No. : 2023/368

अनवान

1. चन्द्रकान्त पिता स्व० रामकिशन जी पालीवाल ब्राम्हण आयु 61 वर्ष निवासी उपली ओडन तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

.....वादी

बनाम्

1. लालाराम पिता नेनालाल गोरवा जाति गोरवा आयु वयस्क निवासी गणेश टेकरी, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
2. गिर्राज पिता लालाराम गोरवा जाति गोरवा आयु वयस्क निवासी गणेश टेकरी, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री दिनेश पालीवाल, अधिवक्ता वादी।
2. श्री पुष्पेन्द्र सिंह राणावत, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 29.01.2026

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम गढवाडा भानसोल पटवार हल्का भानसोल तहसील मावली जिला उदयुपर के आराजी नम्बर 423, 430, 445, 448, 455, 456 किता 6 कुल रकबा 1.0118 हैक्टेयर भूमि एवं आराजी नम्बर 2538/455, 421, 422, 424, 426, 427, 428, 429, 432, 433, 434, 439, 440, 441, 449, 450 किता 16 कुल रकबा 2.4039 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम दर्ज है। आराजी नम्बर 443 रकबा 0.0243 हैक्टयर भूमि वादी एवं महेन्द्र कुमार पुत्र सुन्दरलाल बोहरा निवासी गढ़वाडा हाल मुकाम सिंहाड नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द के संयुक्त खातेदारी आधिपत्य का कुंआ स्थित है जिसमें वादी का 15/16 एवं महेन्द्र कुमार का 1/16 हिस्सा निहित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:52:59 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि उक्त वर्णित वादी के तन्हा खातेदारी आधिपत्य की है, जिसमें किसी अन्य का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है, न ही कोई अधिकार निहित है एवं आराजी नम्बर 443 में वादी एवं महेन्द्र कुमार का उपरोक्तानुसार हक व हिस्सा निहित है। किसी अन्य का कोई हक व हिस्सा निहित नही है और न ही प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार उपरोक्त कृषि भूमि एवं कुंए में है। प्रतिवादीगण बिना किसी हक अधिकार के वादी के उपरोक्त कृषि भूमि एवं कुंए के उपयोग उपभोग में दखलंदाजी, बाधा एवं रूकावट उत्पन्न करते है जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक अधिकार नही है। प्रतिवादीगण द्वारा फर्जी एवं कुटरचित दस्तावेज तैयार करवाकर अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के पदाधिकारीयो को गुमराह कर या मिलीभगत कर वादी के उपरोक्त कुंए पर विद्युत संबंध स्थापित करने के लिये वादी की कृषि भूमि में कोट गिराकर अनाधिकार प्रवेश होकर कृषि भूमि में स्थित फसल एवं चारे को नुकसान पहुंचाते हुए खड्डे खोद दिये एवं विद्युत पोल स्थापित कर के डी पी लगा दी। वादी अपनी कृषि भूमि पर देखरेख हेतु गया तब वादी को यह जानकारी हुई। वादी ने तुरन्त एविविएनएल के कार्यालय जाकर आपत्ति की तो एविविएनएल के कार्यालय के पदाधिकारीयो ने बताया कि प्रतिवादीगण द्वारा मिथ्या दस्तावेज तैयार करवा कर उपरोक्त कुंए को अपना बताकर कनेक्शन हेतु विद्युत पोल एवं डीपी लगवाई है। वादी ने कहा कि कुंआ तो मेरा है जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार नही है। आप इसकी पटवारी से जांच करवा सकते है और आपको जांच करने के उपरान्त ही विद्युत पोल व डी पी लगानी चाहिये। आपके आपराधिक कृत्य की मै पुलिस थाने में शिकायत करूंगा और एफआईआर दर्ज करवाउंगा। जिस पर एविविएनएल के पदाधिकारी अपने को आपराधिक कार्यवाही फंसता देखकर कहने लगे कि हम विद्युत पोल अभी हटा देगें और डी पी भी हटवा देगें। उसके बाद उन्होने विद्युत पोल व डी पी को हटा दिया। जिससे प्रतिवादीगण आगबबुला हो गये और वादी को मां पोस की गालिया देते हुए जान से मारने की धमकीयां देने लगे और कहने लगे कि हम तुम्हारी फसल नही होने देगें और तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लेगें। कुंए पर भी कब्जा कर लेगें। जिस कारण वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद पेश करना अतिआवश्यक हो गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:52:59 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि वादकारण दिनांक 04/08/2023 को पैदा हुआ जब वादी अपनी उक्त कृषि भूमि पर देख रेख करने के लिये गये और वादी के कृषि भूमि में उपरोक्तानुसार नुकसान एवं रिष्टी हो रखी थी और वादी के द्वारा एविविएनएल में आपत्ति प्रस्तुत कर विद्युत पोल एवं डीपी हटवायी, तब प्रतिवादीगण ने वादी की उक्त कृषि भूमि एवं कुए पर कब्जा करने और फसल को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हुए मां पोस गालिया दी और जान से मारने की धमकीयां दी। जिस कारण वादी को यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत करना अतिआवश्यक हो गया।

4. अंत में निवेदन किया की वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित फरमाई जावें कि उक्त वर्णित कृषि भूमि व कुंए में प्रतिवादीगण प्रवेश नही करे, वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा, अवरोध एवं रूकावट उत्पन्न नही करे और न ही कोई फर्जी दस्तावेज तैयार कर के वादी के कुंए पर विद्युत संबंध स्थापित करावें। ऐसा किसी अन्य से भी नहीं करावें। दौराने वाद यदि प्रतिवादीगण ऐसा कर दे तो आदेशात्मक आज्ञा द्वारा स्थिति पुनः प्रतिवादीगण के व्यय से यथावत करायी जावें।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की उक्त वादवर्णित कृषि भूमि मय आ.चा. (कुआ) हिस्से अनुसार संयुक्त खातेदारी में दर्ज हो उक्त आ.चा. (कुआ) हिस्से वारे अनुसार हम प्रतिवादीगण के उपयोग उपभोग में है, तथा हम प्रतिवादीगण उक्त आ.चा. (कुआ) का पिछले 21 वर्ष से लगातार उपयोग उपभोग करते हुए आ रहे है, एवं प्रतिवर्ष खरीदशुदा भूमि की पिलाई करते हुए आ रहे है। प्रतिवादीगण द्वारा वर्ष 2003 में मौजा भानसोल की कृषि भूमि आराजी खसरा संख्या 425 रकबा 14 बिस्वा, 438 रकबा 18 बिस्वा, 444 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 446 रकबा 9 बिस्वा, व आराजी खसरा संख्या 447 रकबा 1 बीघा का 1/2 हिस्सा एवं आराजी खसरा संख्या 435 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 436 रकबा 5 बिस्वा व 437 रकबा 12 बिश्वा, कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा का 1/6 हिस्सा एवं इसी तरह आराजी चाह संख्या 420, 443 प्रत्येक आराजी चाह का [illegible]6 [illegible]स्सा जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2026.04.16 15:52:59 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार श्री छोगालाल पिता शंकरलाल गुरू, निवासी गढ़वाड़ा तहसील मावली, जिला–उदयपुर से बिल एवज पिच्यासी हजार रूपया में खरीद की गई, जो हम प्रतिवादीगण को खातेदार छोगालाल पिता शंकरलाल गुरू द्वारा विक्रय की गई तथा विक्रय पत्र दिनांक 16–04–2003 को लिख सम्पादित कर विक्रय पत्र का विधिवत् पंजीयन प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में करवाया गया। खरीद पश्चात् खरीदशुदा हिस्सा भूमि एवं चाह संख्या 420 व 443 आ.चा. (कुआ) पिछले 21 वर्षों से लगातार हम प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में है, तथा खरीदशुदा भूमि की आ.चा. (कुआ) चाह संख्या 420 व 443 से हम प्रतिवादीगण खरीदशुदा 1/6 हिस्से से हिस्से वारे सिंचाई कर आ.चा. कुआ का हिस्से वारे अनुसार उपयोग उपभोग करते हुए आ रहे है, जो तत्कालिन समय से अर्थात पिछले कई वर्षों से वर्तमान समय तक संयुक्त उपयोग उपभोग में है, तथा उक्त आ.चा. (कुआ) से हिस्से वारे अनुसार अपनी कृषि भूमि की प्रतिवर्ष सिंचाई करते आ रहे है, जिसकी जानकारी वादी को है। प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र की कलम संख्या 03 में खरीदशुदा हिस्सा भूमि के साथ चाह संख्या 420 व 443 में 1/6 हिस्सा विक्रय का अंकन है। अर्थात आ. चा. (कुआ) का हिस्सा भी खरीद किया गया है। प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र कत्तई फर्जी व कूटरचित दस्तावेज नहीं है, न ही प्रतिवादींगण द्वारा विद्युत विभाग को गुमराह ही किया गया है। हमारी खरीदशुदा भूमि तत्कालिन समय संवत् 2057 से पूर्व से उपर वर्णित आ.चा. कुआ से पिवल होती रही है, व आज तक सिंचित हो रही है, तत्कालिन समय संवत् 2057 से पूर्व एवं संवत् 2057 के राजस्व रेकर्ड में स्पष्ट रूप से दर्शित होकर आराजी चाह से सिंचित होने का इन्द्राज है, तथा पिछले कई वर्षों से आ. चा. (कुआ) का संयुक्त रूप से उपयोग उपभोग करते रहने व अपनी खरीदशुदा भूमि में प्रतिवर्ष रबी व खरीफ की फसल बुवाई कर आ.चा. कुआ से अपनी भूमि की सिंचाई करते रहने से प्रतिवादी द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया गया है। चूँकि वर्तमान में जमीनों के भाव बढ़ जाने से वादी के मन में लोभ व लालच उत्पन्न हो गया है, और आ.चा. संख्या 443 नुमाईशी तौर पर वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित होने से वादीगण लोभ लालच एवं कुचेष्ठा से वादी जानबुझ कर हम प्रतिवादीगण को भ[illegible] व नुकसान पहुंचाने की नियत से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2026.04.16 15:52:59 IST
Reason: SelfAttested

हम प्रतिवादीगण को आ.चा. (कुआ) के उपयोग उपभोग से हमेशा के लिए वंचित कर देना चाहते है. एवं हम आ. चा. (कुआ) के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में अक्सर बाधा उत्पन्न करते है, जबकि हम प्रतिवादीगण द्वारा आ.चा. (कुआ) का हिस्सा जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से खरीद किया हुआ हो हम उक्त आ.चा. (कुआ) के हिस्से अनुसार मालिक स्वामी है, और हिस्से वारे अनुसार उक्त आ.चा. (कुआ) का उपयोग उपभोग पिछले 21 वर्ष से निरन्तर निर्विवाद करते हुए आ रहे है. जो पिछले कई वर्षों से वादी की जानकारी में है। इतने वर्षों तक भी वादी द्वारा कभी कोई एतराज नहीं किया गया जिससे भी स्पष्ट है कि वादी द्वारा अपने वाद में सभी तथ्य गलत एवं मनगन्त अंकित कर वादी द्वारा हम प्रतिवादींगण के विरूद्ध यह गलत एवं झुठा वाद पेश किया है। वादी को हम प्रतिवादीगण के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में कोई रोक टोक अथवा बाधा उत्पन्न करने का एवं आ.चा. का हिस्से वारे अनुसार उपयोग उपभोग से वंचित करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। वादी हम प्रतिवादीगण के विरुद्ध किसी भी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति के अधिकारी नहीं है। वादी का वाद गलत व मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से चलने योग्य नहीं होकर सव्यय खारीज होने योग्य है।

6. यह कि वादी का कोई वाद कारण दिनांक 04–08–2023 को या किसी दिन हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध उत्पन्न नहीं हुआ है। हम प्रतिवादीगण द्वारा आ.चा. (कुआ) के हिस्से वारे अनुसार उपयोग उपभोग की जानकारी वादी को पिछले कई वर्षों से है, इतने लम्बे समय तक वादी द्वारा कभी कोई एतराज नहीं किया गया व अब लोभ व लालचवश व हम प्रतिवादीगण को आ.चा. (कुआ) के उपयोग उपभोग से हमेशा के लिए वंचित कर देने की कुचेष्ठा से वादी द्वारा अपने वाद में गलत तथ्य अंकित कर हम प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने की नियत से व मौके पर विवाद कर यह गलत एवं झुठा वाद पेश किया है, जो मय खर्चा खारीज होने योग्य है। अंत में निवेदन किया की वादी द्वारा प्रस्तुत वाद गलत एवं मिथ्या तथ्यों पर आधारित हो वादी द्वारा हम प्रतिवादींगण को नाजायज तंग व परेशान करने की नियत से उक्त गलत व झुठा वाद पेश किया है, जो खारीज होने योग्य होकर वादी का वाद मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:52:59 IST
Reason: SelfAttested

7. काउण्टर वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया की हम प्रतिवादीगण की खरीदशुदा हिस्सा कृषि भूमि के हम प्रतिवादीगण मालिक स्वामी है, साथ ही हम प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र में आ.चा. संख्या 420 व 443 से 1/6 हिस्से के विक्रय का भी अंकन है. तथा उसी अनुसार पिछले कई वर्षों से अर्थात 21 वर्ष से लगातार आ.चा. (कुआ) से हिस्से वारे अनुसार हम अपनी कृषि भूमि की प्रतिवर्ष सिंचाई करते हुए आ रहे है, एवं आ.चा. (कुआ) हम प्रतिवादींगण के संयुक्त कब्जे उपयोग उपभोग में है, जो पिछले कई वर्षों से वादीगण की जानकारी में है, किन्तु वादी लोभ व लालच की भावना से वसीभूत हो हम प्रतिवादींगण को आ.चा. (कुआ) के उपयोग उपभोग से हमेशा के लिए वंचित करने की नियत से वादी हम प्रतिवादीगण के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे है। हम प्रतिवादीगण को आ.चा. (कुआ) के उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप, बाधा उत्पन्न करने का वादी को कोई विधिक अधिकार नहीं है। वादी हम प्रतिवादीगण को उक्त आ.चा. (कुआ) का शान्तिपूर्वक उपभोग करने देवे, हमारे शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें, न उपयोग उपभोग से वंचित करें, न विद्युत संबध लेने में कोई अड्चन उत्पन्न करें। जरिए स्थायी निषेधाज्ञा वादी को पाबन्द कराया जाना आवश्यक है। वादी ने उक्त वाद गलत व मनगढन्त आधारों पर पेश किया है. वादी हम प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति के अधिकारी नहीं है। वादी द्वारा उक्त वाद हम प्रतिवादीगण को जानबुझ कर नाजायज तंग व परेशान करने की नियत से गलत एवं मिथ्या तथ्यों पर प्रस्तुत किया है, जो चलने योग्य नहीं होकर खारीज होने योग्य है। हम प्रतिवादीगण द्वारा वादी के हक हिस्से व कब्जे उपभोग में कभी कोई हस्तक्षेप या बाधा उत्पन्न नहीं की गई। वादी ने गलत तथ्य अंकित कर उक्त वाद पेश किया है।

8. प्रकरण में न्याय निर्णय हेतु तनकीयात कायम की गई।

   1. आया वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार होकर कब्जे काश्त में होने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने का अधिकारी है।

      .... जिम्मे वादी

   2. आया प्रतिवादीगण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय कर अपने क्रयशुदा भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। वादी प्रतिवादीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:52:59 IST
Reason: SelfAttested

भूमि में दखलन्दाजी करने से वादी को जरिये प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है।

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1, 2

9. साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्यवादी के तहत शपथ पत्र गवाह पीडब्ल्यू 1 वादी स्वयं चन्द्रकांत पिता रामकिशन पालीवाल निवासी उपली ओडन तहसील नाथद्वारा प्रस्तुत कर दस्तावेज मौजा गढवाडा भानसोल की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 की खाता संख्या 189 प्रदर्श 1, खाता संख्या 68 पेज 1 से 2 प्रदर्श 2, खाता संख्या 67 प्रदर्श 3 प्रस्तुत किए गए। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, एवं स्वयं प्रतिवादी संख्या 1, 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए।

10. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

11. हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में तनकीवार विश्लेषण निम्न प्रकार हैं :–

1. आया वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार होकर कब्जे काश्त में होने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने का अधिकारी है।

.... जिम्मे वादी

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादी पर है। वादी द्वारा उक्त तनकी को साबित कराने के लिए प्रदर्श 12 मौजा गढवाडा भानसोल पटवार हल्का भानसोल तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 68 पर दर्ज आराजी नम्बर 2538/455, 421, 422, 424, 426, 427, 428, 429, 432, 433, 434, 439, 440, 441, 449, 450 किता 16 कुल रकबा 2.4039 हैक्टेयर भूमि के अनुसार उक्त भूमि वादी के नाम तन्हा खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है। इसी प्रकार प्रदर्श 3 के खाता संख्या 67 पर दर्ज आराजी नम्बर 423, 430, 445, 448, 455, 456 किता 6 कुल रकबा 1.0118 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम तन्हा खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है। इसी प्रकार प्रदर्श 1 के खाता संख्या [illegible] दर्ज आराजी नम्बर 443 रकबा 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:52:59 IST
Reason: SelfAttested

0243 हैक्टेयर किस्म आ.चा. भूमि वादी एवं अन्य सहखातेदार महेन्द्र कुमार पुत्र सुन्दरलाल के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबंदी अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नही है। वादी का मुख्य रूप से कथन है कि प्रतिवादीगण हमारी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि में नाजायज रूप से प्रवेश कर वादी एवं अन्य सहखातेदार के कुंए पर विद्युत कनेक्शन लेने पर आमादा है। जबकि उक्त कुंए में एवं मेरी स्वयं की तन्हा खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है। न्यायालय का विनम्रता पूर्वक अभिमत है कि वादी वादग्रस्त भूमि के रेकार्डेड खातेदार है। रेकार्डेड खातेदार के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण को दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं हैं। वादी वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में प्रतीत होता हैं। वादी की खातेदारी भूमि से वादी को प्रतिवादीगण जबरन बेदखल कर देते है तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। वादी एवं अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज कुंए में जमाबंदी अनुसार प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा नही है। ऐसे में वादी एवं अन्य सहखातेदार के कुंए पर जबरन कब्जा कर वादी को बेदखल करने का कोई अधिकार प्रतिवादीगण का नही है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में कथन किया गया है कि उनके द्वारा भूमि क्रय की गई है। क्रय की गई भूमि के साथ कुंए का हिस्सा भी क्रय किया गया है। परन्तु प्रतिवादी द्वारा यह साबित नही करवाया गया की जिस खातेदार से प्रतिवादीगण द्वारा भूमि क्रय की गई, क्या उस खातेदार के नाम वादग्रस्त आराजी नम्बर 443 किस्म आ.चा. नाम दर्ज थी। इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। ना ही प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावे में किए गए खण्डन को साबित कराने का प्रयास किया गया। उसके पश्चात न्यायालय में अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण का उक्त कुंए में कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रतिवादीगण का यदि उक्त कुंए में कोई हक हिस्सा निहित होता तो अवश्य ही न्यायालय में उपस्थित रहते एवं साक्ष्य प्रस्तुत करते। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है। तनकी संख्या 2 को सिद्ध कराने का भार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:52:59 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तनकी को साबित कराने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया तत्पश्चात न्यायालय में बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए जा चुके है। अतः तनकी संख्या 2 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर वाद खारिज योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 1, 2 का काउण्टर वाद खारिज किया जाता है तथा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा गढवाडा भानसोल पटवार हल्का भानसोल तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता सं. 68 पर दर्ज आराजी नम्बर 2538/455, 421, 422, 424, 426, 427, 428, 429, 432, 433, 434, 439, 440, 441, 449, 450 किता 16 कुल रकबा 2.4039 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 67 पर दर्ज आराजी नम्बर 423, 430, 445, 448, 455, 456 किता 6 कुल रकबा 1.0118 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 189 पर दर्ज आराजी नम्बर 443 रकबा 0.0243 हैक्टेयर किस्म आ.चा. भूमि में वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें तथा वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें। जबरन बेखदखल करने का प्रयास नही करें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 29.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:52:59 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. चन्द्रकान्त पिता स्व० रामकिशन जी पालीवाल ब्राम्हण आयु 61 वर्ष निवासी उपली ओडन तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

.....वादी

बनाम्

1. लालाराम पिता नेनालाल गोरवा जाति गोरवा आयु वयस्क निवासी गणेश टेकरी, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
2. गिर्राज पिता लालाराम गोरवा जाति गोरवा आयु वयस्क निवासी गणेश टेकरी, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 123/23 (वाद) GCMS No. : 2023/368

यह वाद आज वास्ते अंतिम निर्णय हेतु पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. के समक्ष प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

प्रतिवादी संख्या 1, 2 का काउण्टर वाद खारिज किया जाता है तथा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा गढवाडा भानसोल पटवार हल्का भानसोल तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 68 पर दर्ज आराजी नम्बर 2538/455, 421, 422, 424, 426, 427, 428, 429, 432, 433, 434, 439, 440, 441, 449, 450 किता 16 कुल रकबा 2.4039 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 67 पर दर्ज आराजी नम्बर 423, 430, 445, 448, 455, 456 किता 6 कुल रकबा 1.0118 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 189 पर दर्ज आराजी नम्बर 443 रकबा 0.0243 हैक्टेयर किस्म आ.चा. भूमि में वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें तथा वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें। जबरन बेखदखल करने का प्रयास नही करें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

यह आज तारीख 27.01.2026 को न्यायालय से मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:52:59 IST
Reason: SelfAttested